बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
—::कार्यालय आदेश::—

कार्यालय आदेश संख्या — 534 दिनांक — 19.9.25

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम—1 के अधीन पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत रोहतास जिला के प्रखंड शिवसागर में दरीगाँव से कोनकी (पैकेज सं0—BR28R-312) पथ में अनियमितता के संदर्भ में आरोपित पदाधिकारी मो0 अरशद, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद से विभागीय ज्ञापांक 3400 अनु0 दिनांक 25.03.2025 द्वारा की गई कारण पृच्छा का उनके पत्रांक 478 अनु0 दिनांक 15.04.2025 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संबंधी पत्र (पत्र सं0—864) को श्री सुशील कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2, ग्रामीण कार्य विभाग के लॉग बुक में दिनांक 21.04.2025 को प्रविष्टि की गयी, किन्तु श्री सुशील कुमार द्वारा, यह जानते हुए कि मो0 अरशद दिनांक 30.04.2025 को सेवानिवृत होने वाले हैं, उक्त पत्र को संचिका सं0—2/अ0प्र0—3—01/2021 में दिनांक 28.04.2025 को उपस्थापित किया गया। फलस्वरूप आरोपित पदाधिकारी मो0 अरशद के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 के आलोक में कार्रवाई बाधित हो गयी।

2. उक्त आरोपों के लिए श्री सुशील कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय ज्ञापांक 5322 अनु0 दिनांक 19.05.2025 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा दिनांक 02.06.2025 को समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन में मो0 अरशद, अधीक्षण अभियंता का स्पष्टीकरण उनके लॉगबुक में दिनांक 21.04.2025 को प्राप्त होने के उपरान्त उक्त पत्र को संबंधित संचिका में रखते हुए भूलवश अन्य अलमीरा में रखने, कम्प्यूटर हैंग होने तथा दिनांक 26.04.2025 एवं 27.04.2025 को शनिवारीय एवं रविवारीय अवकाश के कारण संचिका उपस्थापित होने में विलंब होने संबंधी तथ्य प्रतिवेदित किया गया।

3. श्री कुमार द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन के समीक्षोपरान्त निम्न दंड संसूचित किया जाता है:—

(i) चेतावनी

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

18/9/25

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :—2/अ०प्र०—8—12/2025 10114 /पटना, दिनांक :— 19.9.25

प्रतिलिपि :—संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/श्री सुशील कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2, ग्रामीण कार्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/9/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–8–12/2025 /पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1 को श्री सुशील कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, ग्रामीण कार्य विभाग के सेवापुस्त में अंकित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/9/25

अवर सचिव